संख्या-55/2022/I/174222/2022/File No. 65-2099/165/2021-2

प्रेषक,

अजीत कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0,
इन्दिरा भवन, लखनऊ।

दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 06 जून, 2022

विषय: उ0प्र0 में मानसिक मंदित एवं मानसिक रूप से रूग्ण निराश्रित दिव्यांगजन हेतु आश्रय गृह सह-प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालन हेतु स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान योजनान्तर्गत स्वीकृत अनुदान प्रस्तावों के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2022-23 में द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रों संख्या- सी-5856 दिनांक 16 मार्च, 2022, सी-5857 दिनांक 16 मार्च, 2022, सी-5858 दिनांक 16 मार्च, 2022, सी-5859 दिनांक 16 मार्च, 2022, सी-5860 दिनांक 16 मार्च, 2022, सी-5911 दिनांक 21 मार्च, 2022, सी-5912 दिनांक 21 मार्च, 2022, सी-5913 दिनांक 21 मार्च, 2022, सी-5922 दिनांक 22 मार्च, 2022, सी-5923 दिनांक 22 मार्च, 2022, सी-5924 दिनांक 22 मार्च, 2022, सी-6091 दिनांक 25 मार्च, 2022, सी-6157 दिनांक 26 मार्च, 2022, सी-6158 दिनांक 26 मार्च, 2022 तथा सी-6415 दिनांक 31 मार्च, 2022 जिसके द्वारा शासनादेश संख्या- 93/2021/I/115144/ 2021/File No. 65-2099/165/2021-2, दिनांक 18 नवम्बर, 2021 के क्रम में मानसिक मंदित एवं मानसिक रूप से रूग्ण दिव्यांगजन हेतु आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र संचालन हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में स्वीकृत अनुदान प्रस्तावों के सापेक्ष 15 स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रथम किश्त के उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराते हुये उनके द्वितीय किश्त धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में अनुरोध किया गया है, का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. अत: इस संबंध में एवं शासनादेश संख्या- 93/2021/I/115144/2021/File No. 65-2099/165/ 2021-2, दिनांक 18 नवम्बर, 2021 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 में मानसिक मंदित एवं मानसिक रूप से रूग्ण निराश्रित दिव्यांगजन हेतु आश्रय गृह सह-प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में दिनांक 01.11.2021 को अपर मुख्य सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में आहूत अनुदान समिति की बैठक में लिये गये निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में वित्तीय वर्ष 2022-23 में निम्नानुसार 15 स्वैच्छिक संस्थाओं के स्वीकृत अनुदानों के अवशेष द्वितीय किस्त (60 प्रतिशत) की धनराशि के सापेक्ष द्वितीय किस्त की आंशिक धनराशि **के रूप में प्रति संस्था रू0 11,11,000/-** आवंटित करते हुये **कुल रू0 1,66,65,000/- (रू0 एक करोड़ छाछठ लाख पैंसठ हजार मात्र)** की धनराशि व्यय किये जाने हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रस्तर-3 में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करती हैं:-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र.सं.	जनपद का नाम जहाँ आश्रयगृह संचालित हैं	स्वैच्छिक संस्था का नाम व पता	दिनांक 01.11.2021 को सम्पन्न अनुदान समिति की बैठक द्वारा स्वीकृत धनराशि	शासनादेश दिनांक 18.11.2021 द्वारा निर्गत प्रथम किस्त (40 प्रतिशत) की धनराशि	**लेखानुदान के दृष्टिगत निर्गत की जा रही द्वितीय किस्त की आंशिक धनराशि**
1	गोरखपुर	लक्ष्मी सर्व विकलांग सेवा समिति, ग्राम मरकड़ी, पो0 पिड़हनी, वि0ख0-बड़हलगंज, तहसील-गोला जनपद-गोरखपुर	रू0 24,81,660/-	रू0 9,92,664/-	**रू0 11,11,000/-**
2	सुल्तानपुर	रूरल इन्फारमेटिव एण्ड सोशल हारमोनी एकेडमी ग्राम व पो0 भाई (सराय), जनपद-सुल्तानपुर	रू0 23,38,560/-	रू0 9,35,424/-	**रू0 11,11,000/-**
3	लखनऊ	स्नेह वेलफेयर सोसाइटी, 9/79, इन्दिरा नगर, जनपद-लखनऊ	रू0 20,52,360/-	रू0 8,20,944/-	**रू0 11,11,000/-**
4	लखनऊ	पाल मर्सी होम, ब्रहम विद्या मन्दिर, 1393 एल्डिको-2 रायबरेली रोड, जनपद-लखनऊ	रू0 21,93,840/-	रू0 8,77,536/-	**रू0 11,11,000/-**
5	इटावा	आधुनिक विद्या मन्दिर एवं जूनियर हाई स्कूल समिति श्यामनगर जनपद-इटावा	रू0 22,55,400/-	रू0 9,02,160/-	**रू0 11,11,000/-**
6	बरेली	शकुन्तला देवी, खादी ग्रामोद्योग सेवा संस्थान ग्राम-मधुपुरी, पो0 दिगाई तहसील-आंवला जनपद-बरेली	रू0 24,17,400/-	रू0 9,66,960/-	**रू0 11,11,000/-**
7	हापुड़	अमर जन कल्याण सेवा समिति, ग्राम-महमूदपुर, पो0 देवरनिया तहसील-बहेड़ी जनपद-बरेली द्वारा जनपद-हापुड में संचालित	रू0 23,63,400/-	रू0 9,45,360/-	**रू0 11,11,000/-**
8	बदायूँ	लक्ष्मी नरायण ग्रामोद्योग विकास समिति मो0 ठाकुरान, नई बस्ती, होली चौक, बिसौली जनपद-बदायूँ	रू0 22,17,600/-	रू0 8,87,040/-	**रू0 11,11,000/-**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

9	कन्नौज	लकी हेल्थ डेवलपमेन्ट एण्ड सोशल वेलफेयर सोसाइटी, आजाद नगर, गुरसहायगंज जनपद-कन्नौज	रू0 23,92,560/-	रू0 9,57,024/-	**रू0 11,11,000/-**
10	बदायूँ	विकलांग कल्याण सेवा समिति, कस्बा व पो0 वजीरगंज जनपद-बदायूँ	रू0 20,34,000/-	रू0 8,13,600/-	**रू0 11,11,000/-**
11	बदायूँ	प्रभात ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, ग्राम-बहोड़ा खेड़ा, तहसील आंवला जनपद-बरेली द्वारा बदायूँ में संचालित	रू0 21,88,440/-	रू0 8,75,376/-	**रू0 11,11,000/-**
12	बदायूँ	सर्व हिताय संस्थान, मो0 महाराजनगर, निकट जल निगम कालोनी जनपद-बदायूँ	रू0 21,88,440/-	रू0 8,75,376/-	**रू0 11,11,000/-**
13	बरेली	आस्था समाज सेवा संस्था मकान संख्या-175, मनकारा नगर, निकट बी0डी0ए0 कालोनी, बदायूँ रोड जनपद-बरेली	रू0 24,17,400/-	रू0 9,66,960/-	**रू0 11,11,000/-**
14	बरेली	उपासना जन कल्याण सेवा समिति, ग्राम-मधुपुरी, पो0 दिगोई, तहसील आंवला जनपद-बरेली	रू0 23,63,400/-	रू0 9,45,360/-	रू0 11,11,000/-
15	आजमगढ़	कैलाशी महिला विकास समिति, ग्राम-ध्यानीपुर पो0 लोहरा, तहसील-बूढ़नपुर जनपद-आजमगढ़	रू0 28,89,360/-	रू0 11,55,744/-	रू0 11,11,000/-
				योग	**रू0 1,66,65,000/-**

3.

(i) धनराशि की स्वीकृति/आहरण एवं अन्य कार्यवाहियां वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022 दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या -5/2022/बी-1-224/दस-2022-231/2022 दिनांक 29 मार्च, 2022 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 का होगा।

(ii) भौतिक लक्ष्यों की पुष्टि और लाभार्थियों को प्रदान की जा रही सुविधाओं की द्विरावृत्ति के लिए निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 उत्तरदायी होंगें।

(iii) स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित मदों में सुसंगत नियमों के अधीन किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(iv) स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय वास्तविक आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा तथा इसे आहरित कर किसी बैंक/पोस्ट आफिस में नहीं रखा जाएगा।

(v) यह सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 का होगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(vi) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा और इसका समस्त दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 का होगा।

(vii) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय करने में योजना हेतु निर्गत दिशा-निर्देशों/गाइडलाइन्स एवं मानकों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 का होगा।

(viii) प्रश्नगत स्वीकृति निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि इस संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है, तो इसका उत्तरदायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 का होगा।

(ix) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों, वित्त विभाग एवं शासन द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 का होगा।

(x) उक्त योजनान्तर्गत जिन स्वैच्छिक संस्थाओं को जो अनुदान राशि की द्वितीय किश्त निर्गत की जा रही है, उनके द्वितीय किश्त का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर उनके सुसंगतता के परीक्षण का दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 का होगा।

(xi) उक्त स्वीकृत धनराशि से किसी भी अनानुमोदित मद/मदों पर व्यय न किया जाय। अनुदान का बिल विभागीय समक्ष अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

(xii) उक्त धनराशि से संबंधित व्यय के उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के पैरा 369 एच के अनुसार शासन को अवश्य उपलब्ध कराये जाने तथा निर्गत अनुदान का लेखा सम्परीक्षा कराकर आडिट रिपोर्ट भी शासन को तत्समय उपलब्ध कराये जाने का सम्पूर्ण दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 का होगा।

(xiii) शासनादेश संख्या- 93/2021/I/115144/2021/File No. 65-2099/165/2021-2, दिनांक 18 नवम्बर, 2021 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

4. उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-79 के लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-11-मानसिक मंदित एवं मानसिक रूप से रूग्ण निराश्रित विकलांगजन के लिए आश्रय गृह सह-प्रशिक्षण केन्द्र संचालित करने हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5. यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या- E-4-15-X-2022-23 दिनांक 02-6-2022 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
अजीत कुमार,
विशेष सचिव।

<u>संख्या/दिनांक तदैव ।</u>

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी-प्रथम/आडिट-प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. जिलाधिकारी, गोरखपुर, सुल्तानपुर, लखनऊ, इटावा, बरेली, हापुड़, बदायूँ, कन्नौज एवं आजमगढ़।
7. जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, गोरखपुर, सुल्तानपुर, लखनऊ, इटावा, बरेली, हापुड़, बदायूँ, कन्नौज एवं आजमगढ़।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2/नियोजन अनुभाग-3।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अजीत कुमार,
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।